(1)

प्रति

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय
छ.ग.शासन रायपुर

श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय
उच्च न्यायालय छ.ग.

श्रीमान आयुक्त महोदय
बिलासपुर छ.ग.

✓ श्रीमान जिलाधीश महोदय
बिलासपुर छ.ग.

विषय :- वर्तमान अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर शशीभूषण सोनी एवं तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार शेष नारायण जयसवाल एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुये कालोनाइजर को शासकीय भूमि से नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को करोड़ो की क्षति कारित करने के संबंध मे ।

महोदय

मै पंकज खंडेलवाल निवासी शिवम रेसिडेंसी शांति नगर फ्लेट न.A-2 / 305 बिलासपुर(मो.न. 9977679772 )निम्नलिखित शिकायत प्रस्तुत करता हूँ :-

1. महोदय छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ - 7 -117 / सात - 1 / 2011 दिनांक 17.12.2011 के अनुसार - यदि सार्वजनिक मार्ग और आवेदित कालोनी / भूखंड के मध्य शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि है तो पंहुच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा । इस तरह आबंटित की जाने वाली भूमि private Builder को शासकीय / नजूल भूमि आबंटन हेतु गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा प्रचलित गाईड लाईन पर आबंटित की जाएगी । भूमि बंटन के पश्चात की अनुज्ञा जारी किया जाना उचित होगा क्योंकि किसी भी आवासीय

01/03/2021

स्थल तक पहुँच मार्ग उपलब्ध होने से भूखंड का मूल्य संवर्धन होता है । ( संलग्न दस्तावेज़ क्र. 09 )

2. महोदय प्रथम प्रकरण तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल द्वारा प्रकरण क्र. 202102075000033 ग्राम बिजौर पक्षकार गायत्री कंट्रक्सन द्वारा भागीदार राघवेंद्र गुप्ता विरुद्ध छ.ग. शासन मे पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 मे ग्राम बिजौर प.ह.न. 30 तहसील व जिला बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा 8/1 रकबा 11.1170 हे. भूमि मे से 160 x 32 = 5120 वर्गफीट भूमि रास्ते हेतु आवेदक गायत्री कंट्रक्सन की भूमि खसरा न. 67/1, 70/1, 71/1, 71/4, 73/2, 75, 85/6, 86/2 कुल रकबा 4.56 एकड़ मे कालोनी निर्माण हेतु प्रदान किया गया । उक्त शासकीय भूमि से विधिविरुद्ध रास्ता प्राप्त कर गायत्री कंस्ट्रक्सन के द्वारा शासकीय भूमि पर गायत्री होम्स का बृहद गेट का निर्माण करवा दिया गया है, जो कि अवैधानिक है | तत्कालीन तहसीलदार जे द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा **क्रमांक / 1208 / अभिन्यास / न.ग्रा.नि. / 2022 / दिनांक 27.06.2022** मे माध्यम से शासन द्वारा प्राप्त निर्देश की अवहेलना करते हुए कोलोनी निर्माण की अनुमति प्रदान की गई तथा कालोनाइजर को आर्थिक लाभ प्रदान करने में सहायता की गई एवं शासन को लाखो रुपये की हानि कारित की गई है । **( संलग्न दस्तावेज़ क्र. 11-15 )**

2. महोदय दूसरा प्रकरण **वर्तमान अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी के द्वारा ग्राम बहतराई प.ह.न. 48 मे प्र.क्र. 202310075300033 / ब - 121 / 2023 - 24** के माध्यम से आवेदक श्रीराम सरिता बिल्डर्स एंड कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता आ. रामनिवास गुप्ता द्वारा खसरा न. 293 रकबा 0.170 तक जाने हेतु शासकीय भूमि खसरा न. 294/1 रकबा 0.530 हे. से 40 फीट का रास्ता उपयोग हेतु आवेदन करने पर अपने आदेश दिनांक 06.11.2023 मे कोई भी आपत्ति नहीं की । आवेदक ने उक्त आदेश का उपयोग संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से कालोनी निर्माण मे अनुमति प्राप्त करने हेतु किया और संयुक्त

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर ने भी नियमो की अनदेखी करते हुये **अनुज्ञा क्र. / 1877 / दिनांक 13.04.2023** पारित किया और आवेदक कालोनाइजर ने रकबा 15860.00 वर्ग मीटर (3.91 एकड़) मे विकास अनुज्ञा प्राप्त कर ली ।**( संलग्न दस्तावेज़ क्र. 17-25 )**

3. महोदय तीसरा प्रकरण वर्तमान **अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी के द्वारा ग्राम बिरकोना मन - 01 प.ह.न. 47 तहसील व जिला बिलासपुर प्र.क्र. 202310075300018 / ब - 121 / 2023 - 24** मे आवेदक राज कंस्ट्रक्सन द्वारा भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेंद्र सिंह कछवाहा के द्वारा अपने आवेदन मे खसरा क्र. 1330/2 रकबा 0.279 हे. मे आने - जाने हेतु शासकीय भूमि खसरा क्र. 1331 मे से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा शासकीय भूमि 1331 रकबा 0.429 हे. मे से 30 फुट का चौड़ा रास्ता नियमविरुद्ध आदेश दिनांक 11.10.2023 को पारित का दिया जिसे खसरा न. 1331 के खसरा पंचसाल के खंड 10 मे भी रास्ता के रूप मे अंकित कर दिया गया । आवेदक के द्वारा उक्त आदेश का लाभ उठाते हुये, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर से अपनी उक्त भूमि पर अनुज्ञा पत्र क्रमांक 351/ प्र.क्र. 68 / सी.जी.आ. 00149 / 23 / धारा / 24 के माध्यम से छल पूर्वक कालोनी विकसित करने की अनुमति प्राप्त कर ली । बिल्डर अर्जुन सिंह ने अपने शपथ पत्र दिनांक 20.10.2023 की कंडिका 26 मे मुख्य मार्ग जो कि डामर रोड है को मुरुम रोड दर्शाया है एवं मुरुम सड़क व स्वीकृत अभिन्यास के बीच रास्ते मे कोई शासकीय भूमि नहीं आ रही है कथन किया है । संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर ने भी वास्तविकता की जांच किए बिना नियमो की अवहेलना करते हुये कालोनी विकसित करने हेतु पद का दुरुपयोग करते हुये अनुमति प्रदान की है ।

**( संलग्न दस्तावेज़ क्र. 27 - 39 )**

महोदय तहसीलदार के द्वारा व संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर ने पद का दुरुपयोग करते हुये शासन की लाखों रुपये की कीमती भूमि को बिल्डर को मुफ्त मे दे दिया, जिससे शासन

को राजस्व की क्षति हुई है, ऐसे मे तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारीयों पर उचित कार्यावाही किया जाना आवश्यक है तथा ऐसी समस्त कालोनियों का नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कालोनी विकास अनुज्ञा निरस्त की जावे एवं यह भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि किन - किन कालोनी को शासकीय भूमि से कालोनी विकास हेतु नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान किया गया है ।

दिनांक

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

PRAKASH SINGH
(ADVOCATE)
GULAB NAGAR MOPAKA
BILASPUR (C.G.) 495006
Mo- 9826141010

आवेदक

पंकज खण्डेलवाल
(प्रधान संपादक)
न्यूज हब इनसाइट
मो0 9977679772